मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक), माध्यमिक शिक्षक (खेल, संगीत–गायन वादन), प्राथमिक शिक्षक(खेल, संगीत–गायन वादन, नृत्य) तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक(विषय शिक्षक), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत–गायन वादन, नृत्य) के लिए पात्रता परीक्षा–2023 के संबंध में सूचना

आवेदन पत्र भरने की तिथि :– 30/01/2023 से 13/02/2023 तक

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति
समय सारणी

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 30/01/2023 से 18/02/2023 तक

परीक्षा दिनॉक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक	प्रातः 09:00 से 11:30 बजे तक (02:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से दोपहर 01:00 बजे तक	दोपहर 02:00 से सायं 04:30 बजे तक (02:30 घंटे)

परीक्षा शहर :– बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाडा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन।
आवेदन पत्र भरने की प्रकिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. परीक्षा की विस्तृत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.peb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. परीक्षा शुल्क

मण्डल का परीक्षा शुल्क (अ)		विभागीय शुल्क (ब) (स्कूल शिक्षा विभाग)	कुल (अ + ब)
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रू 500/– (प्रति प्रश्न पत्र)	रू100/– (प्रति प्रश्न पत्र)	रू 600/– (प्रति प्रश्न पत्र)
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	रू 250/– (प्रति प्रश्न पत्र)	रू50/– (प्रति प्रश्न पत्र)	रू 300/– (प्रति प्रश्न पत्र)
ऑनलाइन आवेदन– कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रू 60/–		
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रू 20/–		

नोटः– म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र. क्र. एफ 1–179/2018/20–1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 एवं पत्र क्र. एफ 1–179/2018/20–1 भोपाल, दिनांक 11.10.2021 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क (ब) बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा।

विशेष निर्देश :

1. उपरोक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैद्यता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018–19 से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (विषय शिक्षक) में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (विषय शिक्षक) में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं हैं।
2. शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियो को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रकिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिदिष्ट की जाएगी।
3. आवेदक अपने आवेदन पत्र मे परीक्षा हेतु एक से अधिक विषयों के विकल्प भर सकता हैं। जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा।
4. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
5. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र,पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से काई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई – आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
7. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
8. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. परीक्षा कक्ष मे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल घड़ी एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
10. ऑनलाइन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
11. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
12. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होंगी
13. आवेदन–पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नही किया जाकर नियुक्ति प्रकिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट– मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 41 / 2022

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

Madhya Pradesh Employees Selection Board(MPESB)

'चयन भवन' मेन रोड नं. – 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल – 462011 FAX: +91-0755-2550498, Toll Free- 18002337899 website : www.esb.mp.gov.in